UPBS120005512021

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 433/2021

इन्द्रदेव बनाम दिलीप आदि

23.09.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर वादी अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि अक्षरान ब, स, य, र प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची 10 ग 1 द्वारा प्रमाणित छायाप्रति आदेश मूलवाद सं० 130/2007 कागज सं० 11 ग 1/1 लगायत 11 ग 1/7, प्रमाणित छायाप्रति डिक्री कागज सं० 12 ग 1/1 लगायत 12 ग 1/3 दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि वादी इन्द्रदेव द्वारा पूर्व में इसी विवादित भूमि के सम्बन्ध में एक वाद चला था, जिसमें न्यायालय द्वारा विवादित भूमि अक्षरान ब, स, य, र पर वादी का स्वामित्व मानते हुए उक्त वाद वादी के पक्ष में निर्णीत किया था। प्रस्तुत वाद भी वादी द्वारा उसी भूमि के सम्बन्ध में दाखिल किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, अन्यथा वादी के दावे का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो, तब तक प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा मना किया जाता है कि वे विवादित भूमि अक्षरान ब, स, य, र प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र, में कोई निर्माण न करें तथा वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में कोई हस्तक्षेप न करें। वादी आदेश 39 नियम 3 सी०पी०सी० का अनुपालन अविलंब करे तथा अनुपालन न करने की स्थिति में आदेश निष्प्रभावी होगा। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनांक–07.10.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग 2

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 8 ग 2 प्रतिवादीगण पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।